सीएसआईआर-भारतीय पैट्रोलियम संस्थान
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
मोहकमपुर, देहरादून – 248 005 (उत्तराखंड)

सं. 6-2(7)/फल बागान/सा.2015

दिनांक: 28.11.2019

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

सीएसआईआर- भा०पे०स०, देहरादून के फल बागान के फलो की नीलामी 4 वर्ष (जनवरी 2020 से दिसम्बर 2023)तक के लिए अनुभवी एवं सक्षम ठेकेदारों से ऑनलाइन मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज़ की पूर्ण जानकारी सीएसआईआर- भा०पे०स० की वैबसाइट www.iip.res.in और CPP Portal https://etenders.gov.in/eprocure/app पर उपलब्ध है।

01	समाचार पत्र में प्रकाशन तिथि	29.11.2019
02	टेंडर का मूल्य	शून्य
03	ई टेंडर डाउन लोड करने की प्रारंभिक तिथि	29.11.2019
04	ई टेंडर डाउन लोड/ जमा करने की अंतिम तिथि	19.12.2019
05	तकनीकी टेंडर खोलने की तिथि	20.12.2019
06	बयाना राशि /ई एम डी	10,000/-

उपरोकत टेंडर के लिए केवल ऑनलाइन बिड़ ही मान्य होगी। यदि किसी उपरोकत तिथि को अवकाश घोषित होता है तो अगले कार्यदिवस पर वह कार्यावाही होगी।

प्रशासान नियंत्रक

CSIR-INDIAN INSTITUTE OF PETROLEUM
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
Mohkampur, Haridwar Road,

सं. 6-2(7)/फल बागान/सा.2015 दिनांक: 28.11.2019

NOTICE INVITING E-TENER

Please read all the terms & conditions carefully before filling online tender.

e-Tenders is invited online tenders from the Contractor of fruit gardens for four years i.e. January, 2020 to December, 2023 (four years). For complete tender details please visit CSIR-IIP website www.iip.res.in or CPP Portal **https://etenders.gov.in/eprocure/app**

1.	NIT publishing date in news paper	29.11.2019
२.	Cost of the Tender Document	Nil
3.	Document downloading start date on **https://etenders.gov.in/eprocure/app**	29.11.2019
4。	Document downloading/Tender submission end date	19.12.2019
5.	Bid (Technical Bid) opening date	20.12.2019
6.	EMD	10,000/-

Note- **Only online bid will be accepted**. If any Holiday declared on above date the action will be taken on next working day.

Controller of Administration

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान
देहरादून

सं0 6–2(7)/फल बगान/सामान्य–15 दिनांकः 28.11.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, मोहकमपुर, देहरादून के फल बगान से जनवरी 2020 से दिसम्बर 2023 (4 वर्ष) तक फल तोडने के लिए अनुभवी एवं सक्षम ठेकेदारों/पार्टियों से ई0 निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दस्तावेज दिनांक 29.11.2019 से 19.12.2019 भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून की वैबसाइट www.iip.res.in और CPP Portal https://etenders.gov.in/eprocure/app पर उपलब्ध होगी। टेंडर से पूर्व सभी पार्टीयाँ आइ आइ पी फल बगान को अवश्य देख लें।

सभी ई0 निविदाओं की कापी दिनांक 29.11.2019 से 19.12.2019 अपराहन 3:00 बजे तक प्रशासन नियंत्रक, आइ आइ पी के कार्यलय में जमा किये जा सकते है। प्राप्त निविदाऐं 20.12.2019 को 3.30 बजे (अपराह्न) सामान्य अनुभाग में खोली जाऐगी। अन्य विवरण निविदा दस्तावेज में दिए गये हैं। प्राप्त निविदाओं को निदेशक, आइ आइ पी बिना कोई करण बताये निरस्त कर सकते है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ई0मेल : coa@iip.res.in पर या दूरभाष : 0135–2525765 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अधिक जानकारी के लिए कृप्या हमारी वेबसाइट www.iip.res.in देखें। निविदा दस्तावेज हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

प्रशासन नियंत्रक

सलग्नक 'क'

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान
देहरादून

<u>फल बागान के वृक्षो का विवरण निमन्वत है :</u>

फलदार वृक्षों की प्रजाति एव संख्याः

1.	लीची	–	103
2.	आम	–	561
3.	कठहल	–	04
4.	चकोतरे	–	335
5.	ऑवला	–	76

<u>ठेके की अवधि जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2023 तक।</u>

मुहरबंद निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 19.12.2019 (अपराह्न 3.00 बजे) तक है। धरोहर राशि रूपय 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) डिमान्ड ड्राफट निदेशक, भापेसं के पक्ष में देय होगा एव ठेकेदार को अपनी निविदा के साथ संलग्न करके जमा करनी होगी। ऐसी निविदा जो बिना धरोहर राशि की हो, स्वीकार नही की जायेगी।

मोहरबंद निविदाऐं दिनांक 20.12.2019 को ही 3.30. बजे अपराह्न में सामान्य अनुभाग में खोली जाएंगी।

प्रशासन नियंत्रक

संलग्नक 'ख'

निबंधन एव शर्तो

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य र्निदेश

1. प्रत्येक व्यापारी से अनुरोध है कि निविदा दर भरने से पूर्व फल बागान का अवलोकन कर लेवे।

2. निविदा स्वीकृति के बाद फसल की समस्त जबावदारी क्रेता की होगी। फलबहार को प्राकृतिक प्रकोप एवं विपदा से हुई हानि को मान्य नहीं किया जायेगा और न ही शासकीय जबावदारी रहेगी। फसल के भण्डारण की एवं आवास की व्यवस्था क्रेता को स्वयं करनी होगी।

3. संस्थान में रोपित पौधों को, उत्पादित की जा रही अन्य फसलों को एवं संस्थान में रखी किसी भी सामग्री को नुकसान नहीं होना चाहिए अन्यथा उसकी भरापाई क्रेता को करना होगी।

4. संस्थान में कार्यरत कर्मचारी एवं उनके रिश्तेदार नीलामी में बोली नहीं लगा सकेंगें।

5. फलों की स्थानीय मांग की पूर्ति करने हेतु क्रेता को स्थानीय विक्रय केन्द्र स्थापित करना आवश्यक होगा।

6. क्रेता को अपने कार्यकताओं के नाम सुरक्षा अधिकारी को देना आवश्यक होगा, उन कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों को संस्थान में प्रवेश निषेध रहेगा।

7. उच्चतम निविदा कर्ता को अपने श्रमिकों के निवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी सक्षम प्राधीकारी की यदि अनुमति हुयी तो श्रमिकों के लिए निर्धारित अस्थायी झोपडी में नियमानुसार आवंटन किया जायेगा।

8. तोडें गये फलों के भण्डारण की उचित व्यवस्था उच्चतम निविदा कर्ता को स्वयं करनी होगी

9. समस्त निविदाकर्ताओं को निविदा के साथ स्थाई निवास एवं पहचान पत्र के प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. पूर्व में क्रेता के उपर यदि निलामी की राशि जमा करने हेतु शेष है तो ऐसे व्यक्ति एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य नीलामी मे भाग नहीं ले सकेगें ऐसा पाये जाने की स्थिति में उन पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

11. भारतीय पैट्रोलियम संस्थान के परिसर मे स्थित फल बगान के वृक्षो की अनुमानित सूची निविदा शर्त के साथ संलग्न है। संपूर्ण बगीचे को एक लाट मे रखा गया है। बोली दाता को संपूर्ण बगीचे के लिए अपनी दर सूची देनी होगी।

12. फल बागान की निविदा वर्ष जनवरी, 2020 से दिसम्बर 2023 तक के लिए की जाएगी।

13. यदि स्वीकृत निविदादाता अपने प्रस्ताव से मुकरता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और फल बागान का पुनः नीलाम निविदादाता के उत्तरदायित्व पर किया जाएगा। इस दशा में बागान के फलों को निलाम करने पर कम मूल्य आने की स्थिति मे मूल्य पर अन्तर की राशि पहले वाले निविदादाता से वसूल की जाएगी।

14. दर सूची स्वीकृत होने के 15 दिन के अन्दर पट्टेदार को भारतीय पैट्रोलियम संस्थान द्वारा दिए गए नियमो के अनुसार अनुबंधपत्र भरना होगा। यदि समय के भीतर अनुबंध पत्र न भरा जाए तो संस्थान में जमा की गई धनराशि जब्त करने का अधिकार मूल्य पर अन्तर की राशि पहले वाले निविदादाता से वसूल की जाएगी।

15. जिस ठेकेदार की उद्धृत दर स्वीकृत होगी उसे सूची में दर्शाए हुए फल वृक्षो के अतिरिक्त फलो व पेडो से कोई संबंध नही होगा। **आवासीय भवनों के भीतर वाले पेडो पर** निविदादाता **का कोई अधिकार नही होगा।** ऐसे पेडों पर भवन आबंटियों का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा इसका उल्लघन किये जाने पर उसे प्रतिबन्धित/Blacklist करते हुये सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।

16. निविदादाता उद्धृत दर भरने से पूर्व बाग का पूर्ण रूप से निरीक्षण कर ले, तथा फल बागान माल उनकी किस्म व संख्या के विषय में संतृष्टि कर ले। माल के संबंध मे पट्टेदाता का कोई उत्तरदायित्व नही लेगा।

17. स्वीकृत निविदादाता को **उपकिरायेदारी-** करने का अधिकार नहीं होगा और न ही ठेका दूसरे के नाम परिवर्तन किया जायेगा।

18. सफल निविदाकर्ता फल बागान का पालन एवं रक्षा उच्चतम मानकों के साथ करेगा तथा इस कार्य के लिए संस्थान को सभी अपेक्षित सहयोग करेगा।

19. विकास कार्यों के लिए यदि आवश्यक हुआ तो नियमानुसार कुछ वृक्षों को काटने की स्थिती में आनुपातिक राशि कम की जायेगी।

20. धरोहर राशि NEFT, SBI Collect, E.Banking या ड्राफट के माध्यम से निदेशक, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून के पक्ष में जमा किया जा सकता है।

21. निविदाकर्ता द्वारा निविदा पपत्र के हर पेज पर हस्ताक्षर किया जायेगा, इसके बिना निविदा रद्द मानी जायेगी।

22. Sealed/मोहर बन्द निविदाए अंतिम तिथि एवं समय से पहले कार्यलय में पहुँच जानी चाहिए, किसी भी Postal देरी के लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा। इसके अलावा तय तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23. बगीचे में खाना बनाने या अन्य किसी कार्य के लिए आग जलाना निषिद्ध है ऐसा करते हुये पाये जाने पर या उनकी लापरवाही से आग जनी की स्थिति में सक्षम अधिकारी भा0पे0स0 से निधारित दण्ड का भुगतान करना होगा।

24. उच्चतम बोली दाता को निलामी राशि का 25 प्रतिशत एक महीने के अन्दर संस्थान में जमा करवाना होगा बाकी 75 प्रतिशत राशि निम्नलिखित तरीके से जमा करवायी जायेगी :

1. 25 प्रतिशत पहले साल के अन्त में
2. 25 प्रतिशत दूसरे साल के अन्त में
3. 25 प्रतिशत तीसरे साल के अन्त में

सफल निविदादाता की धरोहर राशि, सुरक्षा धनराशि नियमानुसार जमा करने के उपरान्त वापस की जायेगी। सुरक्षा राशि संतोषजनक रूप से कार्य करने का प्रमाण पत्र देने के बाद वापस की जाएगी।

25. निविदादाता को दर सूची स्वीकार होने की तिथि से दर्शाए गए फलदार वृक्षो की देख–रेख एवं बाग की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। ठेका समाप्ति के बाद ठेकेदार को संबंधित अधिकारी से संतोषजनक रूप से कार्य करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिसके आधार पर उनकी धरोहर राशि वापस की जायेगी।

26. फलों की निकासी का पास अनुभाग अधिकारी (सा0) की अनुशंसा पर सुरक्षा अधिकारी, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान से प्राप्त करना होगा।

27. फल इस प्रकार से तोडे जाने चाहिए कि पेड और चाय के पौधों को कोई नुकसान न पहुॅचे।

28. फल तोडने के दौरान गिरी हुई पत्तियॉ की सफाई के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

29. ठेकेदार को फल लगने से पहले एंव बाद मे समय–समय पर आवश्यकतानुसार फलदार पेडों की निम्न प्रक्रियाएं करनी होगी जैसे पेडों का थाला बनाना, पानी डालना, खरपतवार निकालना, साफ–सफाई, छटाई, कीटनाशक दवाईयों का छिडकाव, पेडों को खाद देना आदि–आदि।

30. फलों व पेडो की सुरक्षा के लिए ठेकेदार को अपने प्रबंध करने होगे।

31. ठेकेदार को संस्थान के विधुत अनुभाग से परामर्श के बाद निकटतम खम्बे से बिजली का कनैक्शन लेने के लिए अपना ही मीटर लगाना होगा और उस समय लागू बिजली की दर से प्रभार वसूल किया जाएगा। खम्बे से विधुत कनैक्शन लेने के लिए उसे वायरिंग इत्यादि की अपनी व्यवस्था खुद ही करनी होगी।

32. फल बगान का ठेका उच्चतम बोलीदाता को ही दिया जाएगा।

33. धरोहर राशि के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नही की जाएगी।

34. ठेकेदार को पेडो पर थाले व खाद प्रति वर्ष देनी होगी जिसमे पानी संस्थान का होगा (यदि उपलब्ध हो) जिसके लिए ठेकेदार को उचित शुल्क अदा करना होगा पानी डालने की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी, अगर ठेकेदार फलदार वृक्षो पर खाद व पानी नही डालता है तो निविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

35. फल बगान के पट्टेदारी की अवधि मे ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिको की कोई जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी और श्रम अधिनियम के अन्तर्गत हुई अनियमिताओं के लिए पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, संस्थान इसके लिए जिम्मेदार नही होगा।

36. फल बगान की फल बहार मे यदि प्रकृति अपदा आती है तो संस्थान की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

37. निदेशक, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर सकते है।

38. उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के उल्लधन की दशा में करार को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुये सुरक्षा राशि जमा कर ली जायेगी।

ठेकेदार/निविदादाता के हस्ताक्षर

संलग्नक 'ग'

भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून

भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून परिसर में स्थित फल बागान वर्ष 2020 से 2023 तक की दर सूची लागत प्रपत्र

मै ______________________ पुत्र श्री ________________________ निवासी ________________________ भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून के फल बागान की दर सूची/निबंधन/शर्तो को स्वीकार करते हुए चार वर्षो के फल बागान क्रय हेतु संपूर्ण लाट के लिए रूपये________________________ (रूपये ________________________) की दर सूची देता हूँ।

दर सूची के धरोहर के रूप में रूपये ________________________ का बैंक ड्राफ्ट स0 ____________ दिनांक _________ बैंक का नाम ________________________ संलग्न करता हूँ।

बोलीदाता/ठेकेदार का नाम/पता
एंव हस्ताक्षर ________________

दिनांक. ____________

संलग्नक 'घ'

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

नजदीकी रिश्तेदार संस्थान में कार्यरत कर्मचारी की निविदा प्रक्रिया में गैर सहभागिता के सम्बन्ध में

मैं ______________________ पुत्र श्री __________________________ प्रमाणित करता हूँ कि सी.एस.आई.आर.-आई आई पी में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य अथवा रिश्तेदार किसी भी सरकारी/गेर सरकारी पद पर कार्यरत नहीं है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि भी अवस्था में गलत/अशुद्ध पाई जाती है, तो सी.एस.आई.आर.-आई आई पी को मेरे विरुद्ध बिना पूर्व सूचना के उचित कारवाही करने का सम्पूर्ण अधिकारी होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर